न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 62/2016 (18 आयुध अधिनियम 1959)

चतुरसिंह पुत्र श्री देवलाल जाति ठाकुर निवासी पिदावली थाना कंचनपुर जिला धौलपुर।

........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

..........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 20.7.2016

उपस्थितिः—

1. श्री महाराजसिंह वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांक : 4—7—2022

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 20.7.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि यह प्रकरण संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 19.2.2016 से इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि अपीलान्ट के प्रा0 पत्र के संबध में दोनों रिपोर्टों के विराधाभास की स्थिति को स्पष्ट करते हुये गुणावगुण के अधार पर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें। रिमाण्ड प्रकरण की पालना में तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.7.2016 पारित करते हुये अपने पूर्व निर्णय को यथावत रखते हुये अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त रखा गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मंसूखी है। यह कि तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तहत अदालत ने पुलिस अधीक्षक धौलपुर व थानाधिकारी थाना कंचनपुर से मार्फत वृत्ताधिकारी पुलिस वृत सैंपऊ से तलब की है उसमें दो प्रकरण 18/75 व 257/81 दर्ज रहे है जिनमें से 18/75 में अपीलान्ट को न्यायालय

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

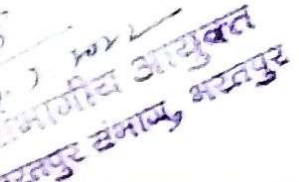

ने दोषमुक्त कर दिया है। तथा प्रकरण संख्या 257/81 में धारा 323 आईपीसी को दोषसिद्ध पाये जाने पर परिवीक्षा का लाभ देकर वरी किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में अपीलान्ट के विरूद्ध कोई प्रकरण नहीं है इसलिऐ अपीलान्ट अनुज्ञापत्र बहाली का अधिकारी है। बाबजूद इसके अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। यह कि पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 24.4.2010 अपीलान्ट के हक में उसके अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की सिफारिश की है। इसके अलावा पूर्व की दूसरी रिपोर्ट दिनांक 23.11.2011 में भी पुलिस ने अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने की कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है परन्तु अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नही किये जाने की सिफारिश की है। उक्त दोनों विरोधाभासी रिपोर्ट का विवेचन किये बिना ही अदालत हाजा द्वारा दिये गये निर्देशों की अवेहलना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि वर्ष 1993 के बाद कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होना या शान्ति भंग होना नहीं पाया गया है। यह कि न्यायालय श्रीमान द्वारा इन्हीं दो विरोधाभासी प्रतिवेदन दिनांक 24.2.2000 एवं 23.11.2011 पर गम्भीरता से गौर करने पर ही आदेश देने हेतु निर्देश दिये गये है जिसकी पालना नहीं की गई है। अपनी ओर से 6 बिन्दु बनाये जाकर नियम विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश के 6 बिन्दुओं का कोई आधार नहीं है। न ही उनके संबध में कोई साक्ष्य पेश किये है। इसलिऐ आदेश जेरे अपील काबिले मंसूखी है। यह कि अब हाल में ही प्राप्त रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक धौलपुर भी अपीलान्ट के स्पष्ट रूप से विरूद्ध नहीं है तथा जिसमें पूर्व की रिपोर्ट को भी गौर नहीं किया गया है। नवीनीकरण नहीं किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा नही है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। यह कि तहत अदालत का आदेश अनुज्ञापत्र को निलम्बन किये जाने का रहा है और अदालत हाजा द्वारा उक्त आदेश निरस्त किया गया है तथा निलम्बन के विवाद को ही तय करने हेतु मामला पुनः प्रेषित किया है परन्तु रेस्पोडेन्ट ने इससे अधिक जाकर अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरसत करने का आदेश देने में भारी भूल की है जबकि अपीलाण्ट द्वारा शस्त्र का कभी भी दुरूपयोग नही किया गया। यह कि तहत अदालत ने आदेश दिनांक 20.7.2016 को मौखिक रूप से सुनाया है जो दिनांक 27.7.2016 को लिखाया गया है जिसकी जानकारी होने पर दिनांक 27.7.2016 को नकल आवेदन किया और दिनांक 28.7.2016 को नकल प्राप्त हुई। दिनांक 27.8.2016 से 28.8.2016 को राजकीय अवकाश होने पर यह अपील बिना किसी देरी के पेश की गई है। इसलिऐ अपील होने जानकारी अन्दर मियाद पेश की गई है जिसके लिये धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ संलग्न है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skillful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर०बी०जे० (4) 1997 पेज 267, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया । अतः माननीय न्यायालयों द्वारा उक्त नजीरों में पारित सिद्धान्तों से सहमत होते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–7–2016 उचित प्रतीत होता है क्योंकि विद्वान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–5–2000 जिसके द्वारा अपीलाण्ट का अनुज्ञापत्र संख्या 11/74 को निलंबित किया गया था, के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश किये जाने पर अपील संख्या 60/2012 में अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 19–2–2016 को पारित किया था जिसमें अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि अपीलाण्ट ने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में दोनों रिपोर्टों की विरोधाभास की स्थिति को स्पष्ट करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर विधि अनुसार अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर तार्किक व न्यायसंगत आदेश पारित करे। उक्त निर्णय की पालना में रेसपोडेन्ट जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–7–2016 में जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26–4–2010 से 23–11–2011 में वर्णित विरोधाभास के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, धौलपुर से पुनः नये सिरे से अपीलाण्ट के अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गयी। पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30–6–2016 में अपीलाण्ट के विरूद्व दर्ज प्रकरण संख्या 18/75 व 257/81 का उल्लेख करते हुए आवेदक का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंसा की गयी। इन रिपोर्टों को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय में 6 बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलाण्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है। विद्वान जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर ने अपीलाधीन निर्णय में आयुध अधिनियम में वर्णित विधिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह माना है कि प्रार्थी आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति बताया गया है। यदि प्रार्थी का अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किया जाता है तो प्रार्थी किसी समय भी संगीन वारदात को अंजाम दे सकता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंसा की है। ऐसी स्थिति में विद्वान जिला मजिस्ट्रेट ने अपीलाधीन निर्णय में अपीलाण्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकृत नही किये जाने के सम्बन्ध में समुचित आधारों का उल्लेख करते

हुए अधीनस्थीय निर्णय पारित किया है। जहां तक वर्तमान अपीलार्थी का यह तर्क कि रेस्पोंडेन्ट द्वारा अधीनस्थीय निर्णय के अनुपालन में निर्धारित समय [illegible] / [illegible] किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय नहीं कर निस्तारण किया है तो उक्त [illegible] [illegible] की [illegible] है कि जब अपीलार्थी के अनुपालन को [illegible] नहीं किया जा रहा है तो [illegible] किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील [illegible] की जाती है। अधीनस्थीय निर्णय दिनांक 20-7-2018 [illegible] रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8-7-2022 को [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible] शर्मा)
अपर आयुक्त (न्यायिक)
सहारनपुर